संख्या-104/2019/1622/26-3-2019-9(82)/2000

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति आयोग,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के संचालन हेतु धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-दो-लेखा/ 78679/बजट/ आ0/18/01सा0, दिनांक 01.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-01-800-07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्राविधानित धनराशि रू0-449.30 (रू0 चार करोड़ उनचास लाख तीस हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-400.05 लाख (रू0 चार करोड़ पांच हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-80 (धनराशि लाख रूपयों में)

योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2019-20	स्वीकृत धनराशि
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय- 07-अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग-		
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)-	98.50	49.25
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)-	336.80	336.80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	14.00	14.00
कुल योग	449.30	400.05

(रूपये चार करोड पांच हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन के जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तुविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पी0एल0ए0 में नही रखा जायेगा।

(2)-आयोग द्वारा मितव्ययिता संबंधी मदों में व्यय हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन मदों में बचत तथा अनुदान के उपयोग की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत अनुदान पर अनुदान नियमावली में उल्लिखित नियम लागू होगें। अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(3)-यदि मानक मद 20-सहायता-सामान्य (गैर वेतन) और 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्गत की जाय।

(4)-उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में निहित निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(7)-योजनान्तर्गत सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रथम किश्त के रूप में जारी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के साथ द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन), 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)- 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-104/2019/1622/(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार,(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक समाज कल्याण,उ0प्र0लखनऊ।
8- अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- निदेशक एन0आई0 सी0 योजना भवन, लखनऊ।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।